संख्या-364/2017/1995/22-2-2016-17(15)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम कुमार उर्फ भुल्ली पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी जनपद-फतेहपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38320/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष राम कुमार उर्फ भुल्ली पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी-लोकहन खेड़ा, थाना-कल्यानपुर, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। आपसी विवाद के कारण रामसुमेर ने रामभवन व उसके भाईयों पर गोली चलाई जो रामकुमार की पत्नी को लगी। इसी कारण बंदी ने दिनांक 29-05-1999 को 12:30 बजे रामसुमेर की पत्नी व उसके बच्चे की देशी तमन्चे से गोलीमार कर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-221/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश फतेहपुर के आदेश दिनांक 22.01.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल अपील संख्या-605/2001 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-01-2010 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.09.2016 तक 17 वर्ष 03 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 06 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-8 फतेहपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 26-08-2016 के अनुसार बन्दी मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदेश दिनांक 22-01-2001 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आजीवन कारावास के विरूद्ध योजित अपील खारिज किये जाने के परिप्रेक्ष्य में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। बन्दी की आयु एवं वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि आपसी विवाद के कारण रामसुमेर ने रामभवन व उसके भईयों पर गोली चलाई जो राजकुमार की पत्नी को लगी। इसी कारण बंदी ने दिनांक 29-05-1999 को 12:30 बजे रामसुमेर की पत्नी व उसके बच्चे की देशी तमन्चे से गोलीमार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा किये गये विरोध एवं मा0 न्यायालय की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी राम कुमार उर्फ भुल्ली पुत्र श्री जगन्नाथ को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम कुमार उर्फ भुल्ली (बन्दी संख्या-390/2001) पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी जनपद-फतेहपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-364/2017/1995(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।